राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

अपील डिक्री / टी.ए. / 2219 / 2003 / जोधपुर

रामदीन पुत्र जोगाराम जाति जाट निवासी पाबुपुरा तहसील व जिला जोधपुर

....अपीलांट

बनाम

1. रावताराम पुत्र छगनाराम (मृतक) जरिये वारिसान–
   1 / 1. अमराराम पुत्र स्व0रावताराम
   1 / 2. बुधाराम पुत्र स्व0रावताराम
   1 / 3. छिन्नजी पुत्र स्व0रावताराम
2. पुरखाराम पुत्र छगनाराम (मृतक) जरिये वारिसान–
   2 / 1. फूलीदेवी पत्नी स्व0पुरखाराम
   2 / 2. रूपाराम पुत्र स्व0पुरखाराम
   2 / 3. धन्नाराम पुत्र स्व0पुरखाराम
   2 / 4. सोनाराम पुत्र स्व0पुरखाराम
   2 / 5. सोहनराम पुत्र स्व0पुरखाराम
   2 / 6. शंकरलाल पुत्र स्व0पुरखाराम
   2 / 7. संजू पुत्र छोटू (पौत्र)
   समस्त जाति कुम्हार निवासीगण खारडा रणधीर तहसील व जिला जोधपुर

....रेस्पोडेन्ट्स

खण्ड पीठ
श्री सुरेन्द्र कुमार पुरोहित, सदस्य
डॉ. गिरीश पाराशर, सदस्य

उपस्थित–
श्री एस. पी. सिंह, अभिभाषक अपीलांट
श्री वी. एस. राठौड, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट

दिनांक : 6–6–2023

निर्णय

यह अपील भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर द्वारा प्रकरण सं0 57 / 2002 में पारित निर्णय दिनांक 25–2–2003 के विरूद्ध धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2. उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने बहस में कथन किया कि अपीलांट के पिता ने रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध रिकार्ड दुरूस्ती, घोषणा एवं अस्थायी निषेधाज्ञा का वाद

सहायक जिलाधीश जोधपुर के न्यायालय में पेश किया। वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण/रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। बावजूद तामील अनुपस्थित रहने पर रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध दिनांक 4–8–87 को एकतरफा कार्यवाही की जाकर पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई। दिनांक 12–11–87 को रेस्पो0/प्रतिवादीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 सीपीसी पेश कर निवेदन किया कि प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही को निरस्त किया जावे। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद प्रार्थना पत्र दिनांक 16–5–89 को खारिज कर दिया गया। जिसके विरूद्ध प्रतिवादीगण द्वारा निगरानी माननीय राजस्व मण्डल में पेश की, जो दिनांक 9–11–92 को खारिज की दी गई। तत्पश्चात विचारण न्यायालय को राजस्व मण्डल से अभिलेख प्राप्त होने के पश्चात वादी की बहस सुनकर रिकार्ड एवं साक्ष्य का पूर्ण विवेचन कर वादी का वाद दिनांक 23–7–2001 को डिक्री कर दिया गया। उक्त निर्णय एवं डिक्री के विरूद्ध रेस्पो0/प्रतिवादीगण द्वारा अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष मियाद बाहर अपील प्रस्तुत की गई। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र का निस्तारण किये बिना सीधे ही अपील का निस्तारण करते हुए अपने निर्णय दिनांक 25–2–2003 द्वारा अपील स्वीकार कर विचारण न्यायालय को प्रकरण प्रतिप्रेषित कर दिया। उनका तर्क है कि अपील का निस्तारण करने से पूर्व मियाद के बिन्दु के प्रावधानों के अनुसार तय किया जाना एक मेन्डेटरी प्रोविजन है। उनका यह भी तर्क है कि रेस्पो0/प्रतिवादीगण की लापरवाही एवं अनियमितता के कारण विचारण न्यायालय द्वारा नियमानुसार उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही कर सही रूप से दावा डिक्री कर दिया गया। रेस्पो0/प्रतिवादीगण का जवाब दावा बन्द हो चुका था और जवाबदावा बन्द होने की दशा में अर्थात जवाब दावा रिकार्ड पर नहीं होने की दशा में विचारण न्यायालय द्वारा तनकीयात कायम करने का प्रश्न ही नहीं रहता परन्तु अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में यह माना कि विचारण न्यायालय द्वारा निर्णय करते समय तनकीयात कायम नहीं की गई, जो गलत है क्योंकि जब रेस्पो0/प्रतिवादीगण की ओर से जवाबदावा ही प्रस्तुत नहीं किया गया तो तनकीयात किस आधार पर कायम होती। इसलिए अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय प्रकरण के तथ्यों एवं रिकार्ड के सर्वथा विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है। अतः यह अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25–2–2003 निरस्त किया जावे।

अपने पक्ष के समर्थन में उन्होंने 2009 DNJ (SC) 141, 1998 DNJ (Raj.) 767, 2006 RBJ (13) 78, प्रकरण संख्या 4699/2020 में मण्डल की माननीय खण्ड पीठ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29–4–2022 के न्यायिक दृष्टांत उद्धृत किये।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने बहस में कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण/रेस्पोडेन्ट को अपना पक्ष प्रस्तुत करने एवं जवाब प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण के सम्मन एवं तलबाना आदेश पारित किये गये किन्तु वादी द्वारा कभी कोई तलबाना प्रस्तुत नहीं किया गया एवं न ही सम्मन प्रस्तुत किये गये तथा एकतरफा में निर्णय व डिक्री पारित कर दिये, जो पूर्णतया अविधिक होने से निरस्तनीय थे। ऐसे में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को निरस्त कर प्रकरण विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित करने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की है। उनका यह भी तर्क है कि प्रकरण के गुणावगुण पर सबल होने पर विलम्ब के शमन हेतु न्यायालय को उदार दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। अंत में उन्होंने अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25–2–2003 को विधि सम्मत बताते हुए अपील सारहीन होने से खारिज करने का निवेदन किया। अपने पक्ष के समर्थन में उन्होंने AIR 1998 SC 3222, 1998 DNJ (SC) 363, 1998 DNJ (Raj.) 146, 2004 (3) DNJ (Raj.) 1406, 2006-07 (Supp.) RRT 443, 2007 (2) RRT 745, 2001 (2) RRT 721, 2011 (2) RRT 834, 2013 (2) RRT 1164, 2010 RRD 415, 2004 (1) RRT 1, 2004 RRD 9 के न्यायिक दृष्टांत उद्धृत किये।

5. बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं न्यायिक दृष्टांतों का अवलोकन किया।

6. अपीलांट के अधिवक्ता का मुख्य रूप से यह तर्क रहा है कि रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष मियाद बाहर अपील प्रस्तुत की गई। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र का निस्तारण किये बिना सीधे ही अपील का निस्तारण करते हुए विचारण न्यायालय को प्रकरण प्रतिप्रेषित कर दिया गया। इस संबंध में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 25–2–2003 के अवलोकन से यह स्पष्टतः प्रकट है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने मियाद प्रार्थना पत्र पर उभय पक्ष के अधिवक्तागण द्वारा की गई बहस का अपने निर्णय में उल्लेख किया है किन्तु

धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र कोई निर्णय पारित नहीं किया एवं मियाद के बिन्दु को निर्णित किये बिना ही अपील का निस्तारण कर दिया है जिसे विधिक रूप से उचित नहीं कहा जा सकता है।

7. अपीलांट के अधिवक्ता की ओर से उद्धृत न्यायिक दृष्टांत 2009 DNJ (SC) 141 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह मत प्रतिपादित किया है कि देरी को अपास्त किये बिना किया गया आदेश विधि सम्मत नहीं है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माननीय उच्च न्यायालय के आदेश को अपास्त करते हुए पुनः सुनवाई के लिए प्रकरण प्रेषित किया। अन्य न्यायिक दृष्टांत 1998 DNJ (Raj.) 767 में माननीय उच्च न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया है कि जहां अपील और याचिका में परिसीमा का बिन्दु निहित है, वहां सबसे पहले परिसीमा का बिन्दु ही निपटाया जायेगा। अन्य न्यायिक दृष्टांत 2006 RBJ (13) 78 में माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश 41 नियम 3–ए (3) सीपीसी व परिसीमा अधिनियम की धारा 5 की विवेचना करते हुए उल्लेख किया है कि देरी को कण्डोन किये बिना अपील पोषणीय नहीं है। without condonation of delay, appeal is not competent.

8. हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र को निर्णित किये बिना आक्षेपित निर्णय दिनांक 25–2–2003 द्वारा अपील का निस्तारण कर दिया है, जो उपरोक्त उद्धृत न्यायिक दृष्टांतों एवं विधिक स्थिति के परिपेक्ष्य में अविधिक एवं त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। हमारे विनम्र मत में रेस्पोडेन्ट के अधिवक्ता द्वारा उद्धृत न्यायिक दृष्टांत तथ्यों की भिन्नता के कारण हस्तगत प्रकरण पर चस्पा नहीं होते हैं।

9. उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25–2–2003 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि सर्वप्रथम धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र को निर्णित करे एवं तत्पश्चात प्रकरण का निस्तारण करें।

निर्णय सुनाया गया।

(डॉ. गिरीश पाराशर)
सदस्य

(सुरेन्द्र कुमार पुरोहित)
सदस्य